Volume-1, No.2 Aug.-2014, pp.89-91

पश्चिमी उत्तर–प्रदेश में कार्यशील महिलाएं एवं सामाजिक रूपांतरण एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्री नीशू कुमार, शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ उ.प्र. भारत।
डॉ0 नरेन्द्र नागर, पोस्ट डॉक्टोरल फैलो,
आई.सी.एस.एस.आर., नई दिल्ली भारत।

प्रस्तावना

यंत्र नार्यस्तु पूज्यनते रमन्ते तत देवता वाली उक्त से स्वयं सिद्ध हो जाता है कि प्राचीनकाल से ही स्त्रियों का समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान रहा है। तभी तो मनु ने भी मनुस्मृति में उनका इस प्रकार का वर्णन दिया है। परन्तु गत वर्षों में नारी की गरिमा में उत्तरोतर ह्रास हुआ है। जो नारी सृष्टि निर्माता की अद्वितीय कृति भी, आज उसका जीवन ही संकट में पड़ता जा रहा है। जो नारी पहले सुख व समृद्धि की प्रतीक समझी जाती थी, आज उसी को समाज ने चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले संयुक्त परिवार होते थे जिसके चलते स्त्रियों कि जिम्मेंदारी सिर्फ घर संभालना था और पुरूषों का काम अर्थोपार्जन करना होता था। चूँकि पहले स्त्रियों को शिक्षण की अनुमति नहीं थी, अतः उनके नौकरी करके परिवार के पालन पोषण की बात किसी के मन में आती तक नहीं थी। ये सब कार्य सिर्फ पुरूष ही करते थे, अतः उनका शिक्षित होना आवश्यक नहीं था। महिलाओं के नौकरी या अर्थार्जन न करने की वजह यह भी थी कि पहले लोगों की आवश्यकताऐं सीमित होती थी, अतः परिवार में जो कुछ पुरूष कमाकर ला देते थे उसी से परिवार का पालन पोषण बड़ी आसानी से हो जाता था। लेकिन जैसे–जैसे पाश्चात्य संस्कृति व भौतिकवाद की चपेट में हमारी संस्कृति भी आयी, पैसे ही परिवार की आवश्यकताओं में अपरिमित विकास होता चला गया। और अब न सिर्फ पुरूषों को बल्कि महिलाओं को भी हार की चारदीवारी लांघकर परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर आना पड़ा।

भारत की लगभग आधी आबादी महिला मतदाताओं की है। संविधान के अनुसार मतदाताओं को सहज रहकर अपने अधिकारों का उपयोग करना पड़ता है। हमारे संविधान ने यह अधिकार स्त्रियों को भी दिया है। परन्तु इस अधिकार का वैसा प्रभावी अमल नहीं होता। स्त्रियों के कितने प्रश्न बीच अधर में लटके हुए हैं, जिनका कोई निराकरण नहीं होता। भारत की आजादी को 66 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है, संविधान में समान अवसर तथा सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है, कानूनी अधिकारों में भी सुधार किया गया है और व्यापक स्तर पर अक्षर ज्ञान देने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई है। इन सबके बावजूद हमारे समाज में स्त्रियों का मूल्य एवं स्थान उस स्तर तक नहीं उठाया जितना उठना चाहिए था। आज स्त्रियाँ कुछ जागृत तो हुई हैं किन्तु उनमें निराक्षर व्याप्त है। आजादी से पहले एवं बाद में भी स्त्रियों ने पर्याप्त सामाजिक कार्य किए हैं, वे कल्याण के काम भी करती रहीं किन्तु वे अपनी नारी शक्ति का निर्माण नहीं कर पायीं। संगठित नारी शक्ति या राजनीतिक शक्ति हो तो स्त्रियों के काम भी हो सकते हैं, फिर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रीय आयोजनाओं के निर्माण में तथा उससे सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में स्त्रियों साझेदारी आवश्यक है। तभी सही अर्थों में लोकशाही स्थापित हो सकेंगे। भारतीय नारी घरेलू दायरे से बाहर निकल दुनिया के बीच में जाकर अपनी समझ को बड़ा कर रही है। वह स्वयं दफ्तर, विद्यालयों एवं व्यवसाय में हाथ बढ़ा रही है और आत्मनिर्भर हो रही है, साथ ही घर पर काम करने वाली कामकाजी औरतों को रोजगार भी दे रही है।

भारत एवं विश्व के अनेक भागों में महिला जागृति, महिला स्वतंत्रता एवं महिला समानता का आंदोलन नवगति एवं दिशा में व्यक्त हो रहा है। आधुनिक कार्यशील महिलाओं ने परम्परागत दासता को तोड़ वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में अपने सार्थकता स्थापित करने का प्रयास किया है। महिलाओं के प्रति पुरूष प्रधान समाज ने उसे केवल करूणा, दया एवं भावना को प्रतिमूर्ति बताया जो एक पक्षीय ही है क्योंकि इसमें महिला क्षमता तथा सम्भावनाओं को अनदेखा किया गया है। पुरूष एकांकी रूप में सामाजिक सम्पूर्णता का प्रहरी नहीं हो सकता क्योंकि महिला की भूमिका–निर्वाह के द्वारा ही परिपूरक वास्तविकता का सम्बध संभव है। यदि समाज संपूर्णता एवं समग्रता में ही मान्य है तो पुरूष एवं महिला की भूमिका पारस्परिकता अविभिन्न है। प्रकृति ने पुरूष एवं महिला को शारीरिक

एवं भावात्मक दृष्टि से चाहे भिन्न अस्मिता प्रदान की हो किन्तु इस आधार पर समानता एवं क्षमता न्याय एवं अवसर सम्बन्धी पूर्वाग्रहों का आरोपण निरर्थक हैं महिला को ममता, करूणा, नैतिकता, धैर्य, क्षमता एवं दया की प्रतिमूर्ति बनाकर इतिहास में सदैव छला जाता रहा है।

वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की चर्चा जोरों पर है। भारतीय संविधान ने भी महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पुरूषों की बराबरी का दर्जा दिया है, किन्तु भारतीय नारी समान अधिकार पाने में पूर्णरूपेण सफल नहीं हो सकी हैं। प्राचीनकाल से ही भारत में स्त्रियों ने पुरूषों को हर क्षेत्र में पूर्ण योगदान दिया है। स्त्री दया, प्रेम, करूणा, ममता आदि गुणों से पूर्ण होती हैं। मानव की जन्मदात्री होने के बावजूद भी किसी–न–किसी रूप में पुरूष के संरक्षण में कार्य करती हैं। यद्यपि इस कार्य में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, किन्तु फिर भी वह अपने कार्यक्षेत्र से विचलित नहीं होती।

महिलाओं का पुरूषों के लिये इतना महान त्याग होने पर भी उसे पुरूषों के समान अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो नारी के प्रति घोर अन्याय है। आज भारतीय महिलायें पूर्ण रूप से जागरूक हैं, तभी हर क्षेत्र में पुरूष के कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ निभा रही हैं। हमारे पुराणों व धर्मग्रंथों में लिखा है कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति की अर्द्धांगिनी मानी जाती है। (शतपथ ब्राह्मण)

भारतीय संविधान के अन्तर्गत पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान अधिकारों की मान्यता दी गयी है। लेकिन हिन्दू कोड बिल की स्वीकृति को पुनः यह कह कर टाल दिया गया कि 1952 में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही इस प्रकार का कोई निर्णय लेना उचित है। सन् 1952 में जब इसे पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तब अनेक राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन स्त्रियों को ही इसके विरोध में लाकर खड़ा कर दिया, जिनके अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए ही इसे प्रस्तुत किया जा रहा था। इसके उपरान्त भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए इस बिल को अनेक खण्डों में विभाजित करके पास किया गया। इसके फलस्वरूप स्त्रियों की सभी नियोग्यताएँ समाप्त हो गई, और उन्हें विवाह, सम्पत्ति, संरक्षता और विवाह–विच्छेद के क्षेत्र में पुरूषों के ही समान अधिकार प्राप्त होने से सामाजिक रूढ़ियों से छुटकारा पाने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे अधिनियमों में हिन्दू विवाह अधिनियम–1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956, हिन्दू नाबालिग और संरक्षता अधिनियम–1956, हिन्दू दत्त ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम–1956, विशेष विवाह अधिनियम–1954, और दहेज निरोधक अधिनियम–1961, प्रमुख हैं। इस सभी अधिनियमों ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने में योग दिया, जिसमें स्त्रियों की खोई हुई क्षमता को पुनः विकसित किया जा सके।

भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। यद्यपि 19वीं शताब्दी से ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं, लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् अनेक ऐसे परिवर्तन सामने आए, जिनके कारण स्त्रियों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। इन परिस्थितियों में **डॉ0 श्रीनिवास** ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रमुख स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगीकरण के फलस्वरूप भी उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए।

इससे स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी, और उन्हें स्वतन्त्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिले। संचार के साधनों, समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना आरम्भ किया। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई, और सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें बाल–विवाह, दहेज–प्रथा और अन्तर्जातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल हो गया। इन समस्त कारकों के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसे निम्नांकित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है।

आर्थिक जीवन की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता के पश्चात, औद्योगीकरण और नवीन विचारधारा के कारण स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। स्वतन्त्रता से पहले यद्यपि निम्न वर्ग की स्त्रियाँ अनेक उद्योगों और घरेलू कार्यों के द्वारा कोई जीविका उपार्जित करती थीं, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा कोई आर्थिक कार्य करना अनैतिकता के रूप में देखा जाता था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् निम्न वर्ग की स्त्रियों को वेतन और काम के घण्टों में पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने से विभिन्न उद्योगों में उनकी संख्या बढ़ी। मध्यम वर्ग की स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त करके अनेक क्षेत्रों की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया। आज शिक्षा, चिकित्सा, समाज–कल्याण, मनोरंजन, उद्योगों और कार्यालयों में स्त्री कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती

जा रही है लेकिन भारतीय महिलाओं की मनोवृत्ति में अभी आमूल–चूल परिवर्तन न हो सकने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देती हैं। जीविका उपार्जित करने वाली महिलायें आज अन्य स्त्रियों के लिए एक आकर्षण हैं, और आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण परिवार में उनके महत्व को देखकर अन्य महिलाओं को भी आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिला है। वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण परिवार में उनके महत्व को देखकर अन्य महिलाओं को भी आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिला है। वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता मिल जाने के कारण उनके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व की तुलना उस स्त्री से किसी प्रकार नहीं की जा सकती जो आज से कुछ वर्ष पहले तक संसार की सम्पूर्ण लज्जा को अपने घूंघट में समेंटे हुए और पुरूष के शोषण को सहन करती हुई अपना जीवन घुटन में व्यतीत कर रही थीं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुसुमलता– कार्योंजित महिलाओं ने भूमिका बाहुल्य एवं समायोजन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध–प्रबंध, समाजशास्त्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, 2004
2. देसाई, नारी एवं ठक्कर, उशा (1958), Woman in Modern India, Bombay Bra & Company Publisher Pvt. Ltd.
3. प्रकाश, रेनू– सापेक्ष अभावबोध, भूमिका–संघर्ष एवं शोषण (नगरीय कुमाऊँ में शासकीय कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत महिलाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन), अप्रकाशित शोध–प्रबंध, समाजशास्त्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, 2003
4. मंडावी, वेदवती– विधायिका में जनजाति महिलायें, ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट, वॉल्यूम–ix (4) 2009, मुरैना (मध्य प्रदेश), अक्टूबर–दिसम्बर, 2009
5. लीला विसारिया, योजना, जुलाई 2011, वर्ष– 55, अंक– 7 20वां रोली विशहरे, पंचायतों में महिलाओं की सकारात्मक हिस्सेदारी, कुरूक्षेत्रा, अगस्त–2009।
6. डॉ0 विशेष गुप्ता, परपंराओं का जानलेवा बोझ, दैनिक जागरण, अक्टूबर (2011)
7. स्वामी विवेकानन्द, भारतीय नारी, अनुवादक श्री इन्द्र देव सिंह आर्य, रामकृष्ण मठ, नागपुर, (2012)
8. जयतिघोष, ''आर्थिक सुधारों से महिलाओं को कोई फायदा नहीं'', राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) 20 अक्टूबर (2012)
9. जवाहर लाल नेहरू, सामुदायिक विकास और पंचायतीराज सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली।
10. एम. ए. अंसारी, (2000) *राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी*, ज्योति प्रकाशन, जयपुर.
11. आशारानी व्होरा, (2005) *औरत आज, कल और कल*, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली.
12. निश्तर खान काही, डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल, (2000) *नारी कल और आज,* हिन्दी साहित्य निकेतन,उ.प्र.
13. उप्रेती, नंदन– क्या कामकाजी महिलाएँ तनावग्रस्त रहती हैं। समाज कल्याण पत्रिका, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, जून–1998
14. नागर, सविता (1998), भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएं : क्लासिक पब्लिकेशन्स, जयपुर।
15. आम्टे, प्रभा (1996), भारतीय समाज में नारी क्लासिक पब्लिकेशन हाउस, जयपुर।
16. माथुर, दीपा (1996), भारत में महिलाएं आविष्कार प्रकाशन, जयपुर, 2958
17. अग्रवाल व मोहन (1996), भारतीय नारी विविध आयाम, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो 'अल्मोड़ा'
18. कपूर, प्रमिला (1970), द चेंजिंग स्टेट्स ऑफ द वर्किंग वूमेंन इन इण्डिया, दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस।
19. कपाडिया, के0एम0 (1959), दी फेमिली इन ट्रांजिशन, सोशियोलॉजी बुलेटिन।
20. देवाई, नीरा (1957), विमेंन इन मॉर्डन इण्डिया, बम्बई, बोरा एण्ड कम्पनी।